न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 52/2024

श्री रामकिशोर पुत्र गेन्दी लाल निवासी गोविन्दपुरा (सिंदडा) तह. निवाई जिला टोंक
अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक
प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 26.11.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 10.08.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

1 ग्राम सिंदडा के पटवार मण्डल द्वारा जून 2022 से जूलाई 2024 तक जारी की गई रेवन्यू रिकार्ड की प्रतिलिपी दो के नामो की लिस्ट

2 पटवार मण्डल सिंदडा के द्वारा रजिस्ट्रयों एवं फोती नामान्तकरण खोले जून 2022 से जूलाई 2024 तक के नामो कि लिस्ट

3 ग्राम गोविन्दपुरा के सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 96/13, 96/12, 96/1 व नये नम्बर 104/96, 105/96, 111/96, 110/96, 107/96, 108/96 की पूर्ण पी-14 की 91 की रिपोर्ट की नामों की प्रमाणित शुदा प्रतिलिपीया माह जून 2022 से अगस्त 2024 तक की।

4 ग्राम गोविन्दपुरा के पूर्व खसरा नं0 96/1 से नये नम्बर 96/13 व 96/12 के डोटेड रास्ता को बदलकर बरसाती नाले से रास्ता का प्रस्ताव के अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी रास्ते के नये नम्बर 106/96 व 109/96 दिया गया। या किस की मॉग पर नया प्रस्ताव लेकर तहसीलदार सा0 के समक्ष पेश किया।

5 हल्का पटवारी प्रभूलाल की माह मई 2022 से अगस्त 2024 तक की पी-35 वर्कींग डायरी की प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध कराने की कृपा करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक को पत्र कमांक 1393 दिनांक 23.09.2024, 1500 दिंनाक 10.10.2024 व 1576 दिनांक 25.10.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को

जिला कलेक्टर
टोंक

उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)